जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना बढापुर दिनॉक 21.09.2023

थाना बढापुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 27/23 धारा 420/467/468/471/406/504 भादवि के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

वादी महेन्द्र सिंह पुत्र मंगू सिंह निवासी ग्राम टांडा साहूवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर के साले की नौकरी लगवाने के नाम पर अभियुक्तगण द्वारा 1,90,000 रूपये हडप लेने तथा वादी के साले को फर्जी कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर देने आदि के संबंध में मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 11.02.2023 को थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 27/23 धारा 420/467/468/471/406/504 भादवि बनाम 1.अनिल कुमार पुत्र सुखलाल सिंह 2.निपेन्द्र कुमार पुत्र सोमपाल सिंह 3.कौसल सैनी पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2023 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 27/23 धारा 420/467/468/471/406/504 भादवि के वांछित अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र सुखलाल नि0 ग्राम फरीदनगर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था। मा0 न्यायालय के आदेश की अवहेलना व अभियुक्त के गिरफ्तारी से बचने के संबंध में अभियुक्त अनिल उपरोक्त के विरूद्ध थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 205/23 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट–दिनांक 11.04.2023 को उक्त अभियोग में अभियुक्त निपेन्द्र कुमार पुत्र सोमपाल सिंह नि0 ग्राम नामदापुर चन्दन उर्फ गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.अनिल कुमार पुत्र सुखलाल नि0 ग्राम फरीदनगर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2–का0 1059 अमरपाल सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3–का0 63 सागर कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 507/23 धारा 323/308/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.07.2023 को वादी श्री साजिद पुत्र सरफूदीन निवासी मौ0 पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि 1-अजमल व 2-राशिद पुत्रगण अकरम निवासी मौ0 पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच व मारपीट की गयी तथा ईंट मारकर घायल कर दिया जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 507/23 धारा 323/308/504/506 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.09.2023 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अजमल पुत्र अकरम निवासी मौ0 पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजमल पुत्र अकरम निवासी मौ0 पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 शिव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2- का0 1244 अनुज बाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर